उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
(सिन नं0–UP32201UP1999SGC024928)

संख्या-I/7145/2025-पें0एवंआर0-28/पाकालि/2025 दिनांक 25-03-2025

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निदेशक मण्डल की दिनांक 05.12.2024 को सम्पन्न 209(10)वीं बैठक में पारित प्रस्ताव/निर्णय के अनुपालन में वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या: 15/2024/आई/681038/2024/10-22099/1537/2020, दिनांक 02 जुलाई, 2024, जिसके द्वारा मंहगाई भत्ते की दर 50 प्रतिशत तक पहुंचने पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए उपादान की अधिकतम सीमा में वृद्धि किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं, को एतदद्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: I/7145/2025पें0एवंआर0-28/पाकालि/2025, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/केस्को, विद्युत वितरण निगम लि0,वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
4. निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, आई0एफ0एम0टी0आर0 कैम्पस, रिंग रोड, सेक्टर-25, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव ।
6. निदेशक (कोषागार), कोषागार निदेशालय (उ0प्र0), जवाहर भवन, लखनऊ।
7. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. निदेशक (पारेषण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-प्/स्तर-प्प्) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
12. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
15. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/(पेंशन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ को दिनांक 05.12.2024 को सम्पन्न 209वीं बैठक के मद संख्या-209(10) के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
18. सूचना पट / कट फाईल।

आज्ञा से,

25/3/2025

(राजकपूर)
अनु सचिव (पें0एवंआर0)

संख्या-15/2024/आई/681038/2024/10-22099/1537/2020

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

2-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 02 जुलाई, 2024

विषय: महंगाई भत्ते की दर 50 प्रतिशत तक पहुंचने पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए उपदान की अधिकतम सीमा में वृद्धि ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2018) की संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-38/2016-सा-3-921/दस-2016/308-2016 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-8(2) में निम्नवत् व्यवस्था की गयी है:-

"8(2)- सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रूपये 20 लाख होगी। महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो जाने पर उपदान की सीमा 25 प्रतिशत तक बढ़ जायेगी।"

2- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 12.03.2024 द्वारा दिनांक 01.01.2024 से महंगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 50 प्रतिशत कर दी गयी है। शासन से निरन्तर इस संबंध में जिज्ञासा की जा रही है कि क्या दिनांक 01.01.2024 से उपदान की अधिकतम सीमा रू. 25 लाख हो जायेगी।

3- यद्यपि इस संबंध में शासनादेश दिनांक 23.12.2016 की व्यवस्था स्पष्ट है, तथापि इस संबंध में मुझे स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.01.2024 से महंगाई भत्ते

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की दर वेतन का 50 प्रतिशत हो गयी है, अतः उपरोक्त शासनादेश दिनांक 23.12.2016 की व्यवस्थानुसार दिनांक 01.01.2024 को अथवा उसके उपरांत सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों को देय उपदान की अधिकतम सीमा रू. 25 लाख होगी।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ.प्र., 1018-जवाहर भवन, लखनऊ।
2. निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, सेक्टर-24/3 ((वित्तीय प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर), इन्दिरा नगर, लखनऊ।

आज्ञा से,
संजय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।